**भारत सरकार**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या: 2778**
**12 मार्च, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**स्वास्थ्य सेवाओं हेतु विनियामक मानदंड**

**2778. श्री असादुद्दीन ओवैसी:**
**श्री सय्यद ईमत्याज जलील:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पंजीकरण के बिना या विनियामक आवश्यकताओं को पूरा किए बिना काम करने वाले निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए राज्यों को निदेश जारी किए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिना किसी पंजीकरण के स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं तथा यदि हां, तो इस संबंध में क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऐसे प्लेटफॉर्मों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में और क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)**

(क) से (घ): भारत सरकार ने सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के नैदानिक प्रतिष्ठानों, सशस्त्र सेनाओं द्वारा चलाये जा रहे प्रतिष्ठानों को छोड़कर, के विनियमन हेतु नैदानिक प्रतिष्ठान (विनियमन और पंजीकरण) अधिनियम, 2010 अधिनियमित किया। स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, इस अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिन्होंने अधिनियम को स्वीकार किया है, की सरकारों के तहत है, तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अधिनियम के तहत प्रावधानों के अनुपालन हेतु समय-समय पर एडवायजरी जारी की जाती हैं।

हाल ही में, माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली ने एक सिविल रिट याचिका में "संबंधित प्राधिकारियों" को दिल्ली में चलाये जा रहे किसी भी अवैध ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवा एग्रीगेटर्स के विरूद्ध, नैदानिक प्रतिष्ठान (विनियमन और पंजीकरण) अधिनियम, 2010, यदि लागू हो तो, सहित लागू कानूनों के उल्लंघन पर कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया। इन निर्देशों के अनुपालन में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,

भारत सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 19.01.2021 को पत्र जारी किया। जिसके द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ उन्हें ऐसे ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवा एग्रीगेटर्स व संबंधित सेवा प्रदाताओं, यदि प्रचालनरत हों तो, को विनियमित करने के लिए कहा गया है।

*******